न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –143/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
इन्द्रा पत्नि भोपालराम जाति जाट निवासी खोडवा तहसील खींवसर जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर 2. निम्बाराम पुत्र स्व. भोमाराम 3. शिवदानराम पुत्र स्व. भोमाराम 4. परसाराम पुत्र स्व. भोमाराम 5. सहदेव पुत्र स्व. भंवरलाल 6. मोकली पत्नी स्व. भंवरलाल 7. बाबुलाल पुत्र भोपालराम जाति जाट निवासीगण खोडवा तहसील खींवसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुडखुडिया।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 27-03-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2016 सरकार बनाम इन्द्रा अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.12.2017 को प्रस्तुत की है। अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का ताडावास ने हाल ही में अपीलांट को खसरा नम्बर 86 रकबा 1.15 बिस्वा वाके मौजा खोडवा गे.मु. गोचर पर अतिक्रमी संवत् 2073 का बताकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार खींवसर के समक्ष पेश की जिस पर तहसील से अपीलांट के पास कोई नोटिस नहीं आया और बिना अपीलांट को सुने कथित शिवदान के अंगुष्ठ निशान प्रथम पेशी की आदेशिका पर करवा कर अपीलांट को कोई सूचना दिये बिना उसके पुश्तेनी कदीमी मकान निर्माण आदि से बेदखल करने का बाले बाले दिनांक 29.08.2016 की तारीख कांटछांट करते हुए निर्णय/आदेश पारित कर दिया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी व हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर अपीलांट को उसके मकान से बेदखल करने का कहा व अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार का निर्णय हो रखा बताया जिस पर अपीलांट तहसील कार्यालय खींवसर में दिनांक 12.12.2017 को जाकर पता करवाया व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही की गई व आदेशिका पर अपीलांट के कोई अं.नि. नहीं है कथित शिवदान के अं.नि. बताकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय प्रिन्टेड फार्म पर किया गया

कलक्टर, नागौर

है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है उसके बंट का मकान पीढियों पुराना बना हुआ है कोई नया निमार्ण/कब्जा नहीं है फिर भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर वास्तविक काबिज स्वामित्व को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट के मकान के आस पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की कानूनी राय मिलने पर अपील की तैयारी हेतु दिनांक 13.12.2017 को नागौर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर सांय तक अपील तैयार करवाई व बिना किसी देरी के आज दिनांक 14.12.2017 को अपील पेश की है, जिसे प्रथम जानकारी दिनांक 12.12.2017 से अन्दर मियाद शुमार करने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खोडवा पूर्व तहसील नागौर हाल तहसील खींवसर के ग्राम आबादी राजस्व रेकर्ड में साबिका खसरा नम्बर 224 स्थित था जिसके पश्चिम में गांव आबादी में पीने का पानी के लिए सार्वजनिक कुआं एक ऐसा निर्माण है जो कालान्तर में दिशा व स्थान बदला जाना संभव नहीं है साबिका राजस्व नक्शे में बताई आबादी व कुऐं के स्थान के मध्य एंव उतरी पूर्वी एंव कुऐं के उतरी पूर्वी दिशा में तथा साबिका खसरा नम्बर 224 आबादी के पश्चिमी सिरे पर आबादी में अपीलांट के दादा ससुर स्व. धन्नाराम व ससुर भोमाराम के घर, बाडा व ऐवाडा रहता आया था। भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले से ही अपीलांट के दादा ससुर व ससुर का रिहायशी घर, बाडा था। गत भूप्रबंध के वक्त भूप्रबंध अधिकारियों व कर्मचारियों ने गत खसरा नम्बर 227 गैर मुमकिन कुऐं का वर्तमान नक्शें में खसरा नम्बर 225 दर्ज किया था। कुऐ व आबादी के उतरी पश्चिमी तरफ स्थित साबिका खसरा नम्बर 207 के नये खसरा नम्बर 86 दर्ज किये तथा नक्शा बनाते समय आबादी के पास स्थित खसरान की स्थिति में बिना अधिकार परिवर्तन करते हुए अपीलांट के दादा ससुर व ससुर के रिहायशी भूखण्ड को साबिक आबादी में था जो वर्तमान आबादी दर्ज न कर रिहायशी भूखण्ड को खसरा नम्बर 86 में गलती से दर्ज कर दिया। अपीलांट के ससुर व दादा ससुर के घर बाडो को आबादी समझते हुए अपीलांट के ससुर का अतिक्रमण सरकारी भूमि में अर्थात खसरा नम्बर 86 में दर्ज नहीं किया। संवत् 2020 से 2021 के आस पास जब पटवारी हल्का ने वर्तमान भूप्रबंध के बनाये गलत नक्शा के अनुसार व अपीलांट के ससुर के उतरी पूर्वी तरफ स्थित मकान व बाडे को राजस्व भूमि में अतिक्रमण के रूप में दर्ज किया तथा संवत् 2021 से आज दिन तक लगभग पांच दशको से गिरदावरी में मकान व बाडे के रूप में अतिक्रमण दर्ज करते रहे है इस दौरान अपीलांट के दादा के हक में खसरा नम्बर 86 रकबा सवा बीघा का आवासीय पट्टा होना मानते हुए धारा 91 के तहत् पूर्व में प्रकरण संख्या 178/65 दर्ज कर खसरा नम्बर 86 के सवा बीघा के पट्टे का जिक्र करते हुए पत्रावली को तहसील सलाहकार समिति के पास प्रेषित की।

तत्पश्चात् पटवारी हल्का ताडावास ने हाल ही में अपीलांट को खसरा नम्बर 86 रकबा 1.15 बिस्वा वाके मौजा खोडवा गै.मु. गोचर पर अतिक्रमी संवत् 2073 का बताकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तहसीलदार खींवसर के समक्ष पेश की जिस पर तहसील से अपीलांट के पास कोई नोटिस नहीं आया और बिना अपीलांट को सुने कथित शिवदान के अंगुष्ठ निशान प्रथम पेशी की आदेशिका पर करवा कर अपीलांट को कोई सूचना दिये बिना उसके पुश्तेनी कदीमी मकान निर्माण आदि से बेदखल करने का बाले बाले दिनांक 29.08.2016 की तारीख कांटछांट करते हुए निर्णय/आदेश पारित कर दिया, जिसकी कोई

कलक्टर, नागौर

जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी व हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आकर अपीलांट को उसके मकान से बेदखल करने का कहा व अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार का निर्णय हो रखा होना बताया जिस पर अपीलांट तहसील कार्यालय खींवसर में दिनांक 12.12.2017 को जाकर पता करवाया व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही की गई व आदेशिका पर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय प्रिन्टेड फार्म पर किया गया है अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है कोई नया निर्माण/ कब्जा नहीं है फिर भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर वास्तविक काबिज स्वामित्व को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट के मकान के आस पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश जैर अपील कतेई गलत, सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी पीठ पीछे पारित किया होने से अपास्त/निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के पास उक्त कार्यवाही का कभी कोई नोटिस नहीं आया, अपीलांट से कोई तामिल नहीं हुई, अपीलांट तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई, अपीलांट के पीढियों पुराने बंट कब्जासुद स्वामित्व के मकान के संबंध में पटवारी हल्का ने कभी कोई मौका जांच नहीं की न अपीलांट का नया अतिक्रमण /कब्जा है फिर भी पटवारी हल्का ने संवत् 2073 में कब्जा करना बताकर मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जबकि मौका निरीक्षण किया जावे तो अपने आप स्पष्ट हो जायेगा कि अपीलांट का उक्त जायगा पर पीढियों पुराना मकान बना हुआ है नया कब्जा किसी भी सुरत में माने जाने योग्य नहीं है फिर भी तहसीलदार ने अपने स्तर पर जांच किये बिना केवल पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आदेश/निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की है वह विधि विरूद्ध है तथा छपे छपाये प्रिन्टेड फार्म पर रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी, जबकि मौके पर कथित गोचर भूमि कहां स्थित है, उसका कितना रकबा है कब किन मौतबिरान के सामने गोचर भूमि का नाप चोप किया, मौके पर कितने लोगो के पीढियों पुराने रहवासी मकान बने हुऐ है, भूमि किस प्रयोजनार्थ पीढियों से काम आ रही है अपीलांट का नया कब्जा किस रूप में है? इस संबंध में कोई विवरण दर्ज नहीं है केवल मात्र गांव में कुछ राजनेतिक रंजिश रखने वाले लोगो के कहने से अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला व उसके परिवार वालो को नाजायज तंग परेशान करने व उसके पीढियों पुराने मकान से उनको बेदखल करवाने की नियत से मिथ्या रिपोर्ट पेश करवा दी व ऐसी आधी अधूरी, विधि विरूद्ध रिपोर्ट के संबंध में तहसीलदार ने कोई जांच किये बिना, अपीलांट जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया है उसको सुने बिना उसको जानकारी दिये बिना उसकी पीठ पीछे आदेश पारित किया है जो स्पष्ट रूप से विधि व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत तलबी रूपान्तरण पत्रावली प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया एवं अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा पर अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 102/2012 भंवरलाल बनाम राज0 राज्य वगैरह में दिनांक 12.4.2014 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, जैर अपील निर्णय निरस्त कर मामला तहसीलदार खींवसर को विवादित आराजी भूमि के संबंध में अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई साक्ष्य आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही पुनः हस्तगत प्रकरण उसी खसरे के संबन्ध में दर्ज कर लिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार नागौर के आदेश राजस्व 131/28.1.1975 की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 40 के जरिये खसरा(वादग्रस्त) नम्बर 86 में से 15 बिस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 86 पर अतिक्रमण का

प्रकरण संख्या 108/65 नायब तहसीलदार नागौर के सरकार बनाम रामदेव इत्यादि के नाम दर्ज हुआ जिसका निर्णय तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा 8.6.1965 को निर्णय करते हुऐ निर्णय में खसरा नम्बर 86 का 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामदेव भोमाराम पिसरान धन्नाराम के हक में नियमन आदेश पारित जारी किये थे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है इसलिए उक्त प्रकरण को उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य, सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

जिस मकान निर्माण, बाडा आदि से बेदखली का जो निर्णय/ आदेश पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये तहसीलदार ने पारित किया है उक्त जायगा, निर्माण अपीलांट का पीढियों पुराना है अपीलांट कानूनन मालिक है लाखो रूपये खर्च करके बनवाये हुऐ है तथा वास्तविक काबिज स्वामी को सुने बिना यदि विधि विरूद्ध निर्णय की आड में उक्त मकान, निर्माण को ध्वस्त कर दिया तो अपीलांट के परिवार के निवास की कोई जगह नहीं रहेगे उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजा से करना संभव नहीं होगा। विद्वान तहसीलदार यदि राजस्व रेकर्ड पत्रावली, रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते, अपने स्तर पर जांच कर सही नाप चोप करवाते, मौका स्थिति का जायजा लेते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती मगर उन्होने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना, अपीलांट व वास्तविक मालिक को सुनवाई का अवसर दिये बिना, साक्ष्य सबूत लिये बिना गैर कानूनी ढंग से मिथ्या आदेशिका दर्ज कर अपीलांट की अनुपस्थिति में आदेश/निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है व विधि विरूद्ध एंव पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गयी रिपोर्ट व निर्णय की आड में मौके पर पुराने समय से बने अपीलांट के मकान आदि को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है ऐसी स्थिति में तुरन्त आदेश/निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इसलिए अपीलांट द्वारा यह अपील पेश करने का कथन करते हुऐ अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय/आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त फरमाने एंव पत्रावली अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व शहादत सबूत का अवसर दिया जाकर नाप चोप कर विधिवत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त सार्वजनिक हित की गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी ताडावास की रिपोर्ट दिनांक 18.07.16 पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पटवारी हल्का ताडावास द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक ताडवास से प्रमाणित रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम खोड़वा के खसरा नम्बर 86 रकबा 01–15 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार खींवसर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार खींवसर द्वारा साईक्लोस्टाईल प्रफोमा में बिना किसी विवेचन के निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित नहीं हैं। तहसीलदार खींवसर द्वारा वादग्रस्त खसरा पर अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 102/2012 भंवरलाल बनाम राज0 राज्य वगैरह में दिनांक 12.4.2014 को निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, जैर अपील निर्णय निरस्त कर मामला तहसीलदार खींवसर को विवादित आराजी भूमि के संबंध में

अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवाई साक्ष्य आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे, उक्त संबंध में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है के संबंध में कोई विवेचन निर्णय जैर अपील में नहीं किया गया है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त संबंध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही पुनः हस्तगत प्रकरण उसी खसरे के संबन्ध में दर्ज कर लिया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा तहसीलदार नागौर के आदेश राजस्व 131/28.1.1975 की पत्रावली में नामान्तरकरण संख्या 40 के जरिये खसरा(वादग्रस्त) नम्बर 86 में से 15 बिस्वा भूमि आबादी में रूपान्तरित की गई है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 86 पर अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 108/65 नायब तहसीलदार नागौर के सरकार बनाम रामदेव इत्यादि के नाम दर्ज हुआ जिसका निर्णय तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा 8.6.1965 को निर्णय करते हुऐ निर्णय में खसरा नम्बर 86 का 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामदेव भोमाराम पिसरान धन्नाराम के हक में नियमन आदेश पारित जारी किये थे, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के संबंध में भी कोई अपने निर्णय में कोई विवेचन किये बिना हीं निर्णय जैर अपील पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित नहीं माना जा सकता है और प्रकरण पुनः नये सिरे से उक्त तथ्यों के मध्यनजर तहसीलदार खींवसर को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाता है तथा मामला तहसीलदार खींवसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले के संबंध में उपर्युक्त विवेचन में वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिये गये तथ्यों के संबंध में अपीलान्ट को विधिवत् रूप से सुनवाई व साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर